

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-10) विभाग

क्रमांक : प 3(1) गृह-10/2022

जयपुर, दिनांक :- 25.08.2025

आज्ञा

राजस्थान अभियोजन सेवा नियम 1978 के नियम 9 के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 की रिक्तियों के लिए पदोन्नति देने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उप निदेशक अभियोजन को संयुक्त निदेशक अभियोजन के अस्थाई पदों पर वेतन श्रृंखला (15600-39100) ग्रेड पे-(21) 8200/- Pay Matrix L-20 in Revised Pay Rules 2017 में पदोन्नत कर नियुक्त किया जाता है। पदोन्नति का लाभ रिक्ति की दिनांक से एवं नकद लाभ उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा -

क्र.सं.	नाम अधिकारी	विशेष विवरण	रिक्ति की दिनांक
1.	श्री धानेश्वर राठौड पुत्र श्री भानाराम	अनुसूचित जाति	01.04.2024
2.	श्री राजेन्द्र तंवर (सेवानिवृत्त) पुत्र श्री भंवरलाल तंवर	अनारक्षित	01.04.2024
3.	श्री ओमप्रकाश मेहता (सेवानिवृत्त) पुत्र श्री मोहनलाल मेहता	अनारक्षित	01.04.2024
4.	श्री मंगलचंद मीना पुत्र श्री बोदूराम मीना	अनुसूचित जनजाति (अनारक्षित के विरुद्ध)	01.04.2024
5.	श्री सुखराम मईडा पुत्र श्री वार जी मईडा	अनुसूचित जनजाति (अनारक्षित के विरुद्ध)	01.04.2024

उक्त अधिकारीगण के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

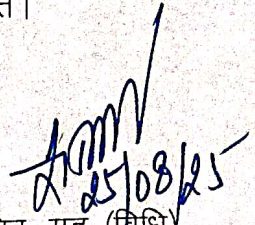
आज्ञा से

(रवि शर्मा)

शासन सचिव, गृह (विधि)
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
5. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6. संबंधित अधिकारीगण।
7. समस्त अतिरिक्त/उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


शासन सचिव, गृह (विधि)
राजस्थान, जयपुर